

# Electricity Distribution Circle-II Clock Tower, Saharanpur



**E-Tender No. 110/W/EDC-II/SRE/2020-21**

उपखण्ड अधिकारी (आईटीओ), सम्बद्ध विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर हेतु 01 नं० कार डीजल चलित (ड्राईवर सहित) एक वर्ष अवधि (01.04.2022 से 31.03.2023 तक) हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य।

***Office of the  
Superintending Engineer  
Electricity Distribution Circle-II  
Clock Tower, Saharanpur-247001 (U.P)***

**Date of Opening :24/03/2022**

**Tender Cost Rs:-1180/-  
Including GST**

**OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER  
ELECTRICITY. DISTRIBUTION CIRCLE –II  
Clock Tower, Saharanpur-247001 (U.P)**

E-TENDER SPECIFICATION NO. : 110/W/ EDC-II / SRE / 2020-21

**WORK DESCRIPTION**

: उपखण्ड अधिकारी (आईटीओ), सम्बद्ध विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर हेतु 01 नं० कार डीजल चलित (ड्राइवर सहित) एक वर्ष अवधि (01.04.2022 से 31.03.2023 तक) हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य।

DUE DATE FOR OPENING : 24-03-2022

COST OF TENDER : Rs. 1180.00 (Including GST)

EARNEST MONEY : Rs. 3000.00

Note:- Vehicle Registration, GST & Pan Card, Adhar Card upload with tender form.

ACCONT NO : 3668938333

IFSC CODE : CBIN0281443

**TENDER ISSUED BY THE:**  
**SUPERINTENDING ENGINEER,**  
**ELECTRICITY. DISTRIBUTION CIRCLE-II**  
**Clock Tower, Saharanpur-247001 (U.P)**

### नियम व शर्त:-

फर्म/ठेकेदार को निविदा के प्रथम भाग में निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराने आवश्यक होंगे। अन्यथा उसका द्वितीय भाग नहीं खोला जायेगा।

1. जी0एस0टी0 पंजीकरण,
2. पैनकार्ड, आधार कार्ड,
3. गाडी का रजिस्ट्रेशन (2019 से पूर्व का न हो)

निविदादाता के मोहर सहित हस्ताक्षर

### हर्ताएँ (सेकण्डरी क्वालीफाईंग शर्तें)

1. केवल उन्ही फर्म/ठेकेदारों की निविदाये खोली जायेगी जिसके द्वारा उपरोक्त समस्त प्रमाण-पत्र भाग प्रथम में सलंगन किये जायेगे, अन्यथा भाग द्वितीय नहीं खोला जायेगा।
2. भाग द्वितीय में दर का आंकलन निम्नानुसार है तथा फर्म/ठेकेदार द्वारा न्यूनतम दरों पर कार्य की दर राशि अंकित करनी है।

अन्य शर्त।

1. अनुबन्ध की कुल धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि को जमानत राशि के रूप में अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की दिनांक से विलम्बतः 15 दिन की अवधि के अन्दर अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर कार्यालय के बैंक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, कोर्ट रोड, सहारनपुर के खाता सं0 3668938333 आई0एफ0एस0सी0 कोड **CBIN0281443** में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा करानी होगी। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि में से 10 प्रतिशत धनराशि निष्पादन गारन्टी के रूप में रोकते हुये शेष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से अनुबन्धकर्ता को किया जायेगा। रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्य सन्तोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त दो माह के उपरान्त किया जायेगा।
2. अगर निविदा से सम्बन्धित कोई वाद विवाद होता है तो वह सहारनपुर न्यायलय में होगा।

निविदादाता के मोहर सहित हस्ताक्षर

## PROFORMA FOR SUBMITTING EARNEST MONEY

E-Tender for .....

Against E-Tender specification No. ....

From :

.....

.....

.....

To,  
The Superintending Engineer,  
Electricity Distribution Circle-II  
Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.  
Saharanpur (U.P)

Dear Sir,

With reference to your invitation to tender for the above I/we hereby offer to the PVVNL the items in the schedule annexed of such portion thereof, as you may determine in strict accordance with the annexed conditions of contract form 'B' specification and schedule of rates to the satisfaction of the purchaser or in default thereof the forfeit to pay to PVVNL the sum of money mentioned in the said conditions.

The rates quoted are inclusive rates and in full satisfaction of all claims.

I/we hereby agree to abide by this tender for the period of four months from the date, fixed for opening of the same.

As sum of Rs. .... only as earnest money have been deposited with the Superintending Engineer, Electy. Distribution Circle-II Saharanpur, vide Receipt No.....dt. ....the full value of which shall be retained by the PVVNL against the security deposited in Clause (3) of the said conditions of contract.

I/we hereby undertake and agree to execute a contract in the form annexed herein accordance with the conditions of contract.

Yours faithfully,

Signature & seal of Tenderer

Date. ....

## Important Instructions to Tenderers

Your tender shall not be considered if you fail to submit the Performa duly filled up. Replies should be completed without almightily and covering letters etc. shall not be acceptable. You may however, attach extra sheets if the space provided is not sufficient.

- | <u>Sl. No.</u> | <u>Particulars.</u>  |
|----------------|--|
| 1-             | Specification against which you have tendered.   |
| 2-             | Receipt No. and date by which cost of tender specification was deposited by you.   |
| 3-             | Name and address of manufacturer / Contractors.  |
| 4-             | Location of manufacturer's factory.  |
| 5-             | Year since which the manufacturer has started production of item tendered.   |
| 6-             | Quantity offered (if there are two or more items, state quantities separately with units.)   |
| 7-             | Amount of form in which earnest money deposited with SUPERINTENDING ENGINEER, ELECTRICITY. DISTRIBUTION CIRCLE-II Saharanpur . Please give reference in this connection (cheque will not be Accepted).   |
| 8-             | Do you agree to all the conditions of the Tender specification of the tender and If not state the modifications clearly Which you would desire in the General Conditions of contract form 'A' (it may please Be noted that it shall be entirely at the descretion of the purchasor/Board to accept or reject the modification proposal). |
| 9-             | Please state clearly (Answer Yes/No) if you would Accept The order if modification in the form 'A' (Sl.No.9) are not acceptable to the Board without imposing any further conditions.  |
| 10-            | Give two references who can certify You financial status and capability to Undertake such construction.<br>SIGNATURE OF THE E-TENDERERS  |
| 11-            | Statement of past/current construction work of similar nature carried out (attach certificate for performance).  |

Name and Address of	Order contract of work no. date	Particulars Qty.	Remarks
1.	2.	3.	4

- 12- What is the delivery period under penalty?
- 13- What is the validity period of your tender?
- 14- Quoted price per (State) Separated for each item, state For Meerut Store Clearly)
- 15- Is the quoted price for items firms and firm in all respects?
- 16- Is the quoted price exclusive of GST?
- 17- If the quoted price is inclusive of GST included at what rate?
18. If the quoted price exclusive of GST on finished product (where applicable)?
19. If the quoted price is inclusive of excise duty on finished product and what rate?
- 20 Have you read the instructions and special instructions to tenderors and agree to the same?
- 1- Name and details address of authorized representative to present you against this tender.
- I. Name & details address of Proprietor/Partner/Director.
- II. If the tendering firm are not Manufacturer themselves full Name and address of Manufacturer's /Proprietor/ Partners/Directors to be given.
22. (a) GST registration No.  
1- Central.  
1- State.  
(b) Please enclose a certified copy of the latest Income Tax Clearance Certificate.

SIGNATURE OF THE TENDERERS

नियम व शर्तः—

1. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेश सं0 295 कार्य/14/पा0का0लि0/2003-3क/2000 दि0 27.02.03 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जायेगा।
2. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 को पालन करना सुनिश्चित किया जायें।
4. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के आदेश सं0 903-जी0ए0/पा0का0लि0-12/2002-5(26) जी0ए0/72 दि0 22.06.02 के अनुसार जिन अधिकारियों को जीप आवंटित की जायेगी उनके वेतन से जीप के लिये 400 रुपये प्रतिमाह प्रति जीप तथा कार आवंटित होने पर 500 रुपये प्रतिमाह काटे जायेगे।
5. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के आदेश सं0 1566/पा0का0लि0-12/97-5(2) जी0ए0/97 दि0 31.05.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन भी किराये पर रखे जाने वाले वाहन के लिये किया जायेगा।
6. वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा तथा वाहन एवं चालक की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी तथा ड्राइवर की नाईट शिफ्ट का कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा यह भी सुनिश्चित कर ले कि वाहन चालक को उचित मानदेय उपलब्ध हो जायें।
7. यदि कोई अधिकारी दोहरा कार्यभार वहन कर रहा है तो उसे केवल एक ही वाहन अनुमन्य होगा।
8. वाहन को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लाग-बुक में नियमित रूप में प्रतिदिन प्रविष्टियाँ अंकित करेंगे तथा लाग-बुक एकाउंट प्रतिमाह प्रेषित करेंगे।
9. किराये पर रखे जाने वाले डिजल चलित हल्के वाहन का डीजल एवरेज 10 किमी0 (ए0सी0 सहित) 12 किमी0 (नॉन ए0सी0 सहित) या कम्पनी (मेनुफेक्चर) द्वारा निर्धारित एवरेज जो भी इनमें से अधिक होगा वह लागू होगा।
10. वाहनो के लिये किराये के अतिरिक्त अन्य कोई देय जैसे की मोबिल-आयल, ब्रेक-आयल, गाडी की सर्विस ओर ड्राइवर की नाईट शिफ्ट का कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. कोई भी गाडी 2019 मॉडल से कम नहीं रखी जायेगी परन्तु 2019 मॉडल उपलब्ध न होने की स्थिति में वाहन का मॉडल कम से कम 03 वर्ष से अधिक पुराना न हों।
12. सभी गाडियाँ केवल डीजल चलित रखी जायेगी तथा केवल डीजल चलित वाहन का ही उपयोग किया जायेगा अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
13. जिन अधिकारियों को आवंटित पुराने वाहनो को निष्प्रयोज्य घोषित करके निलाम नहीं किया गया है तथा धनराशि जमा नहीं करायी गयी है वहा वाहन यह कार्य पूर्ण करके ही रखे जायेगे तथा इनकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधीशासी अभियन्ता की होगी अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
14. भुगतान— वाहन किराये का भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह दो प्रतियों में रनिंग बिल बनाकर सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त पारित बिल के आधार पर उक्त कार्यालय के द्वारा फंड की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
15. पैनल्टी— वाहन के ब्रेक डाउन होने की दशा में ठेकेदार द्वारा तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा की स्थिति में पैनल्टी 700.00 रु0 (सात सौ रुपये) प्रतिदिन प्रतिवाहन के हिसाब से ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।
16. वाहन के रखरखाव टूट-फूट, रिपेरिंग इत्यादि ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर किया जायेगा।
17. वाहन के चोरी, ऐक्सीडेंट इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
18. वाहन के ड्राइवर का व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर ठेकेदार को दूसरे ड्राइवर की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी।
19. वाहन का अधिकतम उपभोग (ग्रामीण क्षेत्र-2000/शहरी क्षेत्र-1500) किमी0 प्रतिमाह की सिमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता

ठेकेदार के हस्ताक्षर मोहर सहित